न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 23.9.2024

मुकदमा नम्बर 120/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/255

काशीरामदास पुत्र रामदास जाति स्वामी निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर पेश है कि वादी ग्राम बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। वादी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 18 क्षेत्रफल 3.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 क्षेत्रफल 7.3700 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम काशीदास पुत्र रामदास दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, बैंक खाता, पैनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में वादी का नाम काशीरामदास पुत्र रामदास अंकित है। वादी को काशीदास व काशीरामदास दोनो नामो से जाना पहचाना व पुकारा जाता हैं इसलिए वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम काशीदास अंकित हो गया जिसे वादी शुद्ध करवाकर काशीदास की जगह काशीरामदास राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार नाम दुरूस्त करने हेतू प्रतिवादी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करने का निवेदन किया तब प्रतिवादी ने दिनांक 14.06.24 को वादी को वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना वह रिकार्ड दुरूस्त नही कर सकते। वादगत खेतों का संयुक्त काबिज काश्तकार होने से वादी को वादाधार प्राप्त हैं तथा प्रतिवादी द्वारा की गयी इन्कारी से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है। वादी के वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में व अन्य सरकारी दस्तावेजों में अलग अलग नाम पता होने के कारण वादी को अपने खातेदारी खेत में स्थित अपने हिस्सा की भूमि में कृषि सुधार कार्य करवाने, के.सी.सी. आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो रही है। वादी वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम काशीदास की जगह "काशीरामदास" की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाना चाहता है जिसका कि वादी कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण किया जाता है एवं भुस्वामी होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है । परन्तू वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से दावा धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से दावा श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है। दावा उचित ... मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न... सादर डिक्री फरमाया जावेंः—

(क) कि घोषित किया जावें कि वादगत खेत ... 3.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 क्षेत्रफल 7.3700 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम काशीदास की जगह काशीरामदास राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(ख) यह कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वह वादगत खेत खसरा नम्बर 18 क्षेत्रफल 3.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 क्षेत्रफल 7.3700 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम काशीदास की जगह काशीरामदास अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जायें वह भी आज्ञाप्त फरमावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया । बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 18 क्षेत्रफल 3.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 क्षेत्रफल 7.3700 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम काशीदास की जगह काशीरामदास घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.9.2024 को मेर द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:56 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

काशीरामदास पुत्र रामदास जाति स्वामी निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

स्टैट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 120/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री मदनगोपाल स्वामी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 18 क्षेत्रफल 3.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 क्षेत्रफल 7.3700 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम काशीदास की जगह काशीरामदास घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 09 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:56 IST
Reason: SelfAttested